न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 77/2012
दायर दिनांक – 09/08/2012
निर्णय दिनांक – 21/05/2018

अनवान

1. महेन्द्रसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. ललिता कुंवर पति बलवन्तसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा (विलोपित)
1. लक्ष्मणसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा
2. धर्मेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा
3. शम्भुसिंह पिता स्व. रामसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा
4. शायर कंवर पति शम्भुसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा
5. बख्तावरसिंह पिता इन्द्रसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा
6. रायसिंह पिता स्व. रतनसिंह जी राजपुत नि खण्डेल तहसील रेलमगरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा
8. मंगलसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम खण्डेल में आराजी संख्या 1069 रकबा 3–14 बीघा स्थित होकर वादी का 1/4 हिस्सा है एवं प्रतिवादीया ललिता कुवंर का 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी धर्मेन्द्रसिंह का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण शम्भुसिंह बख्तावरसिंह रायसिंह का वादग्रस्त भूमियों में कोई खातेदारी हक अधिकार नहीं है फिर भी उक्त प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है एवं वादी से अनाधिकृत रूप से राशि वसुल करना चाहते है। जिससे वादी के उपयोग उपभोग में अनाधिकृत रूप से बाधा हस्तक्षेप कारित करना प्रारम्भ कर दिया एवं प्रतिवादी शम्भुसिंह व उसकी पत्नि शायर कुवर सिह ने वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा की थोहर की बाड को

21 [signature]

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जगह जगह से काटकर क्षति कारित की एवं वादी के द्वारा मना करने पर भी मानने से इन्कार कर दिया व वादी के साथ शान्ति भंग करने पर आमदा हो गये। जिससे प्रतिवादीगण के अवैध कृत्यों को रोकने के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक होने से वाद पत्र प्रस्तुत है। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण ललिता कुंवर व धर्मेन्द्रसिंह को एक सप्ताह पूर्व विभाजन करने व संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादीगण के रूप में सम्मिलित होने के लिये कहा गया तो उन्होनें विभाजन के लिये अपनी सहमति प्रकट नहीं की जिससे प्रतिवादीगण ललिता कुंवर एवं धर्मेन्द्रसिंह आवश्यक पक्षकार होने से एवं सहखातेदार होने से प्रतिवादीगण बनाये गये है। वादग्रस्त भूमि का विकास की दृष्टि से विभाजन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, बिना विभाजन के भूमियां का विकास सम्भव नही है। जिससे विभाजन की सहायता भी चाही गई है। उक्त वाद में विभाजन की सहायता चाही जाने से भूमि धारक, आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया, अन्यथा भूमि धारक के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई है। वादी का वाद हेतू आज से एक सप्ताह पूर्व जब प्रतिवादी शम्भुसिंह शायर कुवर ने थोहर की बाड काट कर क्षति कारित की एंव प्रतिवादीगण बख्तावर सिंह व रायसिंह ने उक्त प्रतिवादीगण को वादी के उपयोग उपभोग में बाधा हस्तक्षेप कारित करने बाबत् उत्प्रेरित किया तथा वादी द्वारा मना करने पर भी मानने से इन्कार किया तब से वादी का वाद हेतू बमुकाम ग्राम खण्डेल उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन मिड्स एण्ड बोन्डस पद्धति के आधार पर कराया जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एव राजस्व अभिलेख मे स्वतंत्र अंकन कराया जावे। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण ललिता कुवर धर्मेन्दसिंह के विरूद्ध इस आशय की विभाजन की डिक्री प्रदान की जावे। वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराया जाकर वादी को स्वतंत्र अधिपत्य दिलाया जावे तदनुरूप राजस्व अभिलख मे स्वतंत्र अंकन कराया जावे। प्रतिवादीगण शम्भुसिंह , शायर कुंवर , बख्तावर सिंह व रायसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे । अतिक्रमण नही करे । वादी की फसल व थोहर बाड को क्षति कारित नही करे। वादग्रस्त भूमि मे प्रविष्ठ नही करने बाबत् प्रतिबन्धित फरमाया जावे।

...यक कलक्टर
...अधिकारी)

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 05, 06, 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये, प्रतिवादी संख्या 02 जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है जिससे उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया, प्रतिवादी संख्या 07 भूमि धारक होकर उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादीगण संख्या 03, 04, 05 व 06 ने कोई नाजायज गिरोह नही बना रखा है। प्रतिवादी शम्भुसिंह व शायर कुंवर का इस भूमि में हक, अधिकार है। आराजी संख्या 1069 पर 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी शम्भूसिंह , शायर कुंवर का 20 वर्षो से भी अधिक समय से स्वामित्व आधिपत्य है। व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 का आधिपत्य है। वादी का कोई आधिपत्य नही है। वादी से अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी कोई राशि वसूल नही करना चाह रहे है। कभी भी वादी के उपयोग उपभोग मे अनाधिकृत रूप से बाधा, हस्तक्षेप, कारित नही की न ही वादी का आराजी संख्या 1069 पर कब्जा है प्रतिवादी शम्भूसिंह व शायर कुवर ने वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा की थोहर की बाड को जगह जगह से काटकर क्षतिकारिता नही की बल्कि प्रतिवादी शम्भूसिंह का आधिपत्य शु बाडे के थोहर वादी ने काटे जिस पर कार्यवाही थाने में करवाई जिसमें भी आराज़ी संख्या 1069 के भू–भाग पर बाडा बना होकर कब्जा शम्भूसिंह का माना वादी के साथ कभी भी शांति भंग पर आमादा नही हुए वादी के लिए प्रतिवादी शम्भूसिंह शायरकुवर के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई हक, अधिकार नही है। वादपत्र की कलम संख्या 3 का विवरण हमारे से सम्बधित नहीं है तथा आराजी संख्या 1069 के 1/2 भाग की भूमी पर शंभुसिंह का आधिपत्य है ऐसी सुरत में वादी व ललिता कवंर व धर्मेन्द के बीच विभाजन नही किया जा सकता है। वादपत्र की कलम संख्या 4 का विवरण गलत होकर अस्वीकार रहे वादी का आधिपत्य नही हो। वादपत्र की कलम संख्या 5 का विवरण कानुनी है। वादपत्र की कलम संख्या 6 का विवरण

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

गलत होकर अस्वीकार है वादी का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ शंभुसिंह, शायर कंवर ने वादी की कोई थोहर बाड नहीं काटी बल्कि वादी ने शंभुसिंह के बाडे की थोहर बाड काटी। प्रतिवादी बख्तारवरसिंह, रायसिंह ने शंभुसिंह शायर कुंवर को किसी प्रकार उत्प्रेरित नहीं किया। वादी ने मनगढन्त कहानी बनाकर वादपत्र प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 7 व 08 का विवरण कानुनी है। वादपत्र की कलम संख्या 9 व 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। इस तरह की सहायता वादी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। साथ ही विशेष कथन अंकित किया गया है कि आराजी संख्या 1069 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर तीन बिस्वे का बाडा प्रतिवादी शंभुसिंह ने बंद बना रखा हैं व आराजी संख्या 1069 पर 1/2 पर पूर्वजो के समय से प्रतिवादी शंभुसिंह के पास कब्जा है जिसको जबरन कब्जा हटाने व शंभुसिंह से जबरन कब्जा प्राप्त करने का अधिकार वादी के पास नही है तथा बिना कब्जे के किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा वादी प्राप्त करने का अधिकार नही है तथा वादी ने झुठे एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित वाद पेश किया गया है पुलिस वालो ने भी कब्जा प्रतिवादी शंभुसिंह का माना हैं। ऐसी सुरत में वादी प्रतिवादी के विरूद निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं जो कब्जा प्रतिवादी शंभुसिंह के पास हैं उसका विभाजित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 के अधिकार नहीं है क्योकि वादी के पास आराजी संख्या 1069 की भुमी पर आधिपत्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त करमाया जावे।

प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :-

1. आया वादी का वादग्रस्त भुमियो में हिस्से अनुसार विभाजन कराने का अधिकार एवं विभाजन में प्राप्त स्वत्रतं अंकन व अधिपत्य की भुमि में प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 6 के विरूद स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त आ. स. 1069 में 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी स. 3 व 4 का आधिपत्य 20 साल से चला आ रहा है जिससे वादी का वाद निरस्त होने के योग्य है।

जिम्में प्रतिवादी स. 3व4

2/02

(सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2. तनकी संख्या 02 जिम्में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 होकर प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 शम्भूसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई। किन्तु प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्व हो सके कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1069 में 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का आधिपत्य 20 साल से चला आ रहा हो। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरूद्व निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 अनुतोष होकर न्यायालय के जिम्में है।
4. तनकी संख्या 04 जिम्में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 होकर तनकी संख्या 02 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्व हो सके कि आराजी संख्या 1069 में प्रतिवादी संख्या 03, 04 का 3 विस्वा का बाडा भी बना होकर आधिपत्य है 1/2 हिस्से में समिलित है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर वादी का वाद ग्राम खण्डेल के आराजी संख्या 1069 रकबा 3–14 बीघा का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन का स्वीकार किया जाकर दौराने शिविर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गयी। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः वादी [illegible] वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन [illegible]या जाता है :–

	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
	स्वरूपसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह [illegible]9/370, हिम्मतसिंह पिता [illegible]त्येन्द्रसिंह 69/370, महेन्द्रसिंह [illegible]ता सत्येन्द्रसिंह 232/370 राजपूत [illegible]देह खातेदार	1069/1	00–18–00	4.16
	योग	किता –01	00–18–00	4.16
	[illegible]सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1/3, [illegible]सिंह पिता प्रतापसिंह 2/3	1069 मीन	02–15–10	12.49

	राजपूत सा.देह खातेदार			
	योग	किता –00	02–15–10	12.49
3.	महेन्द्रसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	1070/1	01–00–00	0.70
	योग	किता –01	01–00–00	0.70
4.	सीमा कुंवर प्रति कानसिंह 531/820, धमेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह 105/820, मंगलसिंह पिता देवीसिंह 61/820, राजपूत, सुरेश पिता एकलिंग 41/820, मांगीलाल पिता एकलिंग 41/820, ब्राहम्ण, बालुराम पिता नानालाल 41/820 जाट सा.देह खातेदार	1070 मीन	02–01–00	1.43
	योग	किता –01	02–01–00	1.43

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प लापस्या पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 77/2012

अनवान

वादी पक्ष :–

1. महेन्द्र सिंह पिता सत्येन्द्र सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. ललिता कुंवर पति बलवन्त सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा (विलोपित)
2. लक्ष्मण सिंह पिता प्रताप सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा
3. धमैन्द्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा
4. शायर कवर पति शम्भु सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा
5. बख्तावर सिंह पिता इन्द्र सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा
6. रायसिंह पिता स्व0 रतनसिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
8. मंगलसिंह पिता देवी सिंह राजपूत निवासी खण्डेल तह0 रेलमगरा

दावा :– विभाजन एव स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :–सी0एस0 शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :–एस0एल0जाट

में इस आशय मे दिनांक 21/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीाकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र0स0	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	स्वरूप सिंह पिता सत्येन्द्रसिंह 69/370, हिम्मतसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह 69/370, महेन्द्रसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह 232/370 राजपूत सा0देह0 खातेदार	1069/1	00–18–00	4.16
	योग	**किता –01**	**00–18–00**	**4.16**
2.	धमैन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1/3, लक्ष्मणसिंह पिता प्रताप सिंह 2/3 राजपूत सा0देह0 खातेदार	1069 मीन	02–15–10	12.49
	योग	**किता –01**	**02–15–10**	**12.49**

3.	महेन्द्र सिंह पिता सत्येन्द्र सिंह राजपूत सा0देह0 खातेदार	1070/1	01—00—00	0.70
	योग	**किता —01**	**01—00—00**	**0.70**
4.	सीमा कुवर पति कानसिंह 531/820, धमैन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 105/820, मंगलसिंह पिता देवीसिंह 61/820 राजपूत, सुरेश पिता एकलिंग 41/820, मांगीलाल पिता एकलिंग 41/820, ब्राहम्ण, बालूराम पिता नानालाल 41/820 जाट सा0देह0 खातेदार	1070 मीन	02—01—00	1.43
	योग	**किता —01**	**02—01—00**	**1.43**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड मे पृथक —पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा